ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—54/2019 प्रार्थना पत्र
-श्री अमरचन्द पिता गोपी माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री बरदा पिता गोपी माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————प्रार्थीगण

बनाम

श्री जमनालाल पिता धन्ना लाल माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
श्री देबीलाल पिता बगतावर माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
श्री रतनलाल पिता हीरालाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री जमनालाल पिता हीरालाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति नानी पत्नि गोरूलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री प्रभुलाल पिता छोगा माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री शंकर पिता लादू माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीजगदीश पिता लादू माली, उम्र बालिग निवासी हुर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—27.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हुर्नियाखेड़ा ार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1500/1 रकबा 2 ा, 1501/2 रकबा 15 बिस्वा, 1577/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1651/1 रकबा 17 बिस्वा, 7/1 रकबा 7 बिस्वा, 1988/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि ीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व े काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8, व 9 के सम्मन बाद ल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8, व 9 उपस्थित । विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8 व 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के ांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.2.2019 को एक तरफ कार्यवाही किये जाने का श दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 5 व 6 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली गया। विपक्षी संख्या 5 व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी स्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 20.5.2019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक —बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हुर्नियाखेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में ात हाल आराजी नम्बर 1500/1 रकबा 2 बिस्वा, 1501/2 रकबा 15 बिस्वा, 1577/2 रकबा 1 ा 14 बिस्वा, 1651/1 रकबा 17 बिस्वा, 1987/1 रकबा 7 बिस्वा, 1988/2 रकबा 11 बिस्वा कुल ता 6 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश ा जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, महुआकंला को 450/–रूपये (चार पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की ं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner